.भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2302
दिनांक 10 दिसम्बर, 2024/ 19 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर अपराध के मामले

†2302. श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः
श्री कंवर सिंह तंवरः
श्री लुम्बा रामः
डॉ. के. सुधाकरः
डॉ. राजेश मिश्राः
श्री बिद्‌युत बरन महतोः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री राधेश्याम राठियाः
श्रीमती रुचि वीराः
श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लिः
श्री अभिषेक बनर्जीः
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
श्री सुरेश कुमार कश्यपः
श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः
डॉ. निशिकान्त दुबेः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः
श्री तेजस्वी सूर्याः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्री विजय कुमार दूबेः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री दरोगा प्रसाद सरोजः

लोक सभा अता. प्र.सं. 2302 दिनांक 10.12.2024

श्री संजय हरिभाउ जाधवः

श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में साइबर अपराधों में भारी बढ़ोत्तरी हुई है और यदि हां, तो इसका राज्य-वार/जिला-वार विशेषकर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए साइबर अपराधों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त प्रणाली में इसकी विफलता के लिए जिम्मेदार कमियों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने, विद्यमान कानूनों को और अधिक कठोर बनाने, नागरिकों में जागरूकता पैदा करने तथा इसे प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सभी विवरणों और मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने तथा साइबर पोर्टल पर अपराध की शिकायत दर्ज करने के बाद भी अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान साइबर पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का ब्यौरा तथा उनके निपटान की जांच की स्थिति क्या है;

(च) क्या सरकार ने साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नागरिकों के लिए कोई जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं;

(छ) साइबर अपराधों और साइबर खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और

(ज) साइबर अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा अब तक कितने अपराधी पकड़े गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

लोक सभा अता. प्र.सं. 2302 दिनांक 10.12.2024

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ज) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। देश में साइबर अपराध से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो अधिनियम) के तहत पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य-क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 से 2022 की अवधि के दौरान साइबर अपराधों (माध्यम /लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामलों, आरोप-पत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, आरोप-पत्रित व्यक्तियों और दोषसिद्ध व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। एनसीआरबी केवल जिला स्तर पर दर्ज किए गए मामलों का संग्रह करता है। एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 से 2022 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश राज्यों में साइबर अपराधों (माध्यम / लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामलों का जिले-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 2302 दिनांक 10.12.2024

ii. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

iii. वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' शुरू की गई है। अब तक 9.94 लाख से अधिक शिकायतों में 3431 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

iv. आई4सी ने डिजिटल गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 1700 से अधिक स्काइप आईडी और 59,000 व्हाट्सएप खातों की सक्रिय रूप से पहचान की और उन्हें ब्लॉक कर दिया।

v. केंद्र सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस, एनसीबी, सीबीआई, आरबीआई और अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों का छद्म भेष धारण करने वाले साइबर अपराधियों द्वारा 'ब्लैकमेल' और 'डिजिटल गिरफ्तारी' की घटनाओं के खिलाफ अलर्ट पर एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की है।

vi. दिनांक 15.11.2024 तक पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 6.69 लाख से अधिक सिम कार्ड और 1,32,000 आईएमईआई को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।

vii. केंद्र सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने एक ऐसी प्रणाली तैयार की है, जिसके तहत ऐसी फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉलों की पहचान की जा सकेगी और उन्हें ब्लॉक किया जा सकेगा, जिनमें भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित होता है और जो भारत से आती हुई प्रतीत होती हैं। फर्जी डिजिटल गिरफ्तारियों, फेडेक्स घोटालों, सरकारी और पुलिस अधिकारियों के रूप में छद्मावेश धारण करने आदि के हाल के मामलों में साइबर-अपराधियों द्वारा इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल की गई हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ऐसी आने वाली अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

लोक सभा अता. प्र.सं. 2302 दिनांक 10.12.2024

viii. केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (cyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c), रेडियो कैंपेन के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, कई माध्यमों से प्रचार हेतु माईगव का उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/ छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल प्रदर्शन (Displays) आदि शामिल हैं।

ix. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), इंटरपोल के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध सहयोग पहलों में भाग लेता है, जिससे सीमा पार से साइबर अपराध संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैश्विक एलईए के साथ सहयोग को बढ़ावा मिलता है।

x. सीबीआई डेटा संरक्षण अनुरोधों के लिए भारत में नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है, साइबर अपराध से संबंधित डेटा का समय पर और सुरक्षित आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए जी 7 24/7 नेटवर्क के माध्यम से ऐसे अनुरोध भेजता और प्राप्त करता है।

xi. सीबीआई में राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी) एक केंद्रीय समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जो इंटरपोल चैनलों के माध्यम से साइबर अपराध की जानकारी के संग्रह और प्रसार की सुविधा प्रदान करता है।

*****

अनुलग्नक-I

लोक सभा अता.प्र.सं. 2302 दिनांक 10.12.2024

वर्ष 2020-2022 के दौरान साइबर अपराधों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज किए गए मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीसीएस), दोषसिद्ध मामले (सीओएन), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति(पीसीवी)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020						2021						2022					
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	1899	314	6	475	446	9	1875	374	8	363	515	8	2341	394	8	538	719	13
2	अरुणाचल प्रदेश	30	1	0	12	1	0	47	3	0	5	3	0	14	5	0	5	5	0
3	असम	3530	385	0	1717	395	0	4846	579	2	6096	931	2	1733	634	6	2078	776	7
4	बिहार	1512	651	0	751	727	0	1413	424	2	980	520	2	1621	901	2	1435	1009	2
5	छत्तीसगढ़	297	152	3	209	188	3	352	200	0	260	245	0	439	331	37	393	384	38
6	गोवा	40	6	0	15	15	0	36	18	0	42	22	0	90	15	0	41	23	0
7	गुजरात	1283	475	0	942	906	0	1536	715	0	1395	1394	0	1417	789	0	1327	1317	0
8	हरियाणा	656	221	0	347	323	0	622	326	3	647	601	4	681	386	6	935	656	9
9	हिमाचल प्रदेश	98	31	0	46	39	0	70	63	1	68	77	1	77	43	1	30	48	1
10	झारखंड	1204	462	125	820	791	131	953	400	25	1414	1215	45	967	419	6	1053	925	6
11	कर्नाटक	10741	2842	2	489	2916	2	8136	5801	10	615	5967	12	12556	3368	12	679	3557	13
12	केरल	426	161	0	299	179	0	626	287	2	447	345	2	773	441	7	550	537	7
13	मध्य प्रदेश	699	445	14	692	598	15	589	487	50	803	802	119	826	471	59	664	723	78
14	महाराष्ट्र	5496	902	3	1735	1238	3	5562	1428	23	2475	1914	60	8249	1410	15	2582	2000	18
15	मणिपुर	79	0	0	17	0	0	67	2	0	31	2	0	18	0	0	12	0	0
16	मेघालय	142	1	0	9	7	0	107	6	0	2	8	0	75	4	0	6	6	0
17	मिजोरम	13	8	2	4	8	2	30	20	3	31	21	3	1	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	8	0	0	0	0	0	8	0	0	1	0	0	4	1	0	3	1	0
19	ओडिशा	1931	282	0	369	396	0	2037	313	0	363	412	0	1983	283	3	379	433	3
20	पंजाब	378	106	1	298	162	1	551	188	4	416	247	4	697	143	3	489	195	3
21	राजस्थान	1354	340	24	541	520	32	1504	502	23	861	864	40	1833	677	28	884	870	32
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	782	135	7	516	237	9	1076	147	6	612	198	8	2082	245	5	916	382	8
24	तेलंगाना	5024	939	280	1169	1158	282	10303	1361	19	1478	2179	21	15297	2393	60	2442	3967	78
25	त्रिपुरा	34	5	0	6	5	0	24	10	0	8	10	0	30	9	0	3	12	0
26	उत्तर प्रदेश	11097	4987	642	6491	6427	878	8829	4407	292	6887	6006	387	10117	4737	838	7122	6571	1068
27	उत्तराखण्ड	243	58	0	93	80	0	718	158	0	207	266	0	559	121	0	155	181	0
28	पश्चिम बंगाल	712	178	0	203	313	0	513	307	17	246	336	17	401	432	11	355	493	11
	कुल राज्य	**49708**	**14087**	**1109**	**18265**	**18075**	**1367**	**52430**	**18526**	**490**	**26753**	**25100**	**735**	**64907**	**18652**	**1107**	**25076**	**25790**	**1395**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5	5	0	3	5	0	8	3	0	12	4	0	28	7	1	9	7	1
30	चंडीगढ़	17	3	1	4	3	2	15	6	0	9	7	0	27	8	2	17	9	3
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3	1	0	1	1	0	5	2	0	4	4	0	5	5	0	4	6	0
32	दिल्ली	168	61	0	107	77	0	356	157	1	494	336	1	685	192	6	589	345	6
33	जम्मू और कश्मीर	120	14	0	33	23	0	154	49	0	102	60	0	173	53	1	76	79	1
34	लद्दाख	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	3	0	0	2	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
36	पुदुचेरी	10	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	64	8	0	28	25	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**327**	**89**	**1**	**155**	**114**	**2**	**544**	**218**	**1**	**621**	**412**	**1**	**986**	**273**	**11**	**723**	**471**	**12**
	कुल (अखिल भारत)	**50035**	**14176**	**1110**	**18420**	**18189**	**1369**	**52974**	**18744**	**491**	**27374**	**25512**	**736**	**65893**	**18925**	**1118**	**25799**	**26261**	**1407**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया।

अनुलग्नक-II (पृष्ठ 4 का 1)
लोक सभा अता.प्र.सं. 2302 दिनांक 10.12.2024

वर्ष 2020-2022 के दौरान साइबर अपराधों के तहत उत्तरप्रदेश में जिले-वार दर्ज किए गए मामले

क्र.सं.	**जिला**	**2020**	**2021**	**2022**
1	आगरा	84	127	160
2	अलीगढ़	223	196	154
3	प्रयागराज	1102	1073	891
4	अंबेडकर नगर	78	34	54
5	अमेठी	70	53	42
6	अमरोहा	41	31	0
7	औरैया	39	34	71
8	आजमगढ़	97	63	130
9	बदायूं	26	36	61
10	बागपत	70	92	260
11	बहराइच	93	56	79
12	बलिया	28	50	71
13	बलरामपुर	65	13	25
14	बांदा	64	33	71
15	बाराबंकी	52	31	97
16	बरेली	180	147	161
17	बस्ती	67	48	81
18	बिजनोर	90	86	79
19	बुलंदशहर	276	489	312
20	चंदोली	15	28	33
21	चित्रकूट	35	34	25
22	देवरिया	72	54	65
23	एटा	36	130	56
24	इटावा	42	26	27
25	अयोध्या	65	31	77
26	फतेहगढ़	43	0	113
27	फतेहपुर	35	60	71
28	फिरोजाबाद	64	55	95
29	जीआरपी	3	0	1
30	गौतमबुध नगर	1585	699	878
31	गाजियाबाद	896	558	810
32	गाजीपुर	83	73	147
33	गोंडा	56	43	85
34	गोरखपुर	203	169	222
35	हमीरपुर	30	23	40
36	हापुड	32	67	48
37	हरदोई	61	65	52
38	हाथरस	22	28	44
39	जालौन	71	41	54
40	जौनपुर	126	77	94
41	झांसी	78	64	92
42	कन्नौज	44	0	37
43	कानपुर देहात	81	81	61
44	कानपुर कमिशनरेट	353	449	541
45	कासगंज	40	26	51

वर्ष 2020-2022 के दौरान साइबर अपराधों के तहत उत्तरप्रदेश में जिले-वार दर्ज किए गए मामले

क्र.सं.	**जिला**	**2020**	**2021**	**2022**
46	कौशाम्बी	80	39	55
47	खीरी	98	48	71
48	कुशी नगर	68	87	108
49	ललितपुर	15	20	36
50	लखनऊ कमिशनरेट	1465	1067	1134
51	महाराजगंज	56	49	52
52	महोबा	14	12	20
53	मैनपुरी	19	24	26
54	मथुरा	127	151	166
55	मऊ	105	102	124
56	मेरठ	183	153	190
57	मिर्ज़ापुर	38	31	62
58	मोरादाबाद	165	102	53
59	मुजफ्फरनगर	97	64	73
60	पीलीभीत	30	40	93
61	प्रतापगढ़	268	81	82
62	रायबरेली	112	91	101
63	रामपुर	61	13	41
64	सहारनपुर	100	59	79
65	संभल	52	41	46
66	संत कबीरनगर	48	41	38
67	शाहजहाँपुर	33	42	68
68	शामली	37	77	56
69	श्रावस्ती	11	15	17
70	सिद्धार्थनगर	28	23	76
71	सीतापुर	52	27	58
72	सोनभद्र	49	28	60
73	भदोही	32	39	21
74	सुल्तानपुर	77	93	97
75	उन्नाव	77	67	73
76	वाराणसी कमिशनरेट	564	420	323
77	लखनऊ ग्रामीण	20	17	0
78	कानपुर आउटर		34	0
79	वाराणसी देहात		59	0
	कुल	**11097**	**8829**	**10117**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया।

वर्ष 2020-2022 के दौरान साइबर अपराधों के तहत छत्तीसगढ मे जिले-वार दर्ज किए गए मामले

क्र.सं.	जिला	2020	2021	2022
1	बलोद	35	10	14
2	बलोद बाजार	5	14	12
3	बलरामपुर	0	3	0
4	बेमेतरा	12	20	12
5	बिलासपुर	18	24	23
6	बीजापुर	0	1	2
7	दंतेवाडा	12	13	18
8	धमतरी	23	23	15
9	दुर्ग	21	16	31
10	गरियाबंद	5	24	11
11	जीआरपी रायपुर	1	0	0
12	जगदलपुर	21	24	38
13	जांजगीर	1	5	17
14	जशपुर	2	0	6
15	कबीरधाम	3	9	4
16	कांकेर	15	9	6
17	कोंडागांव	1	15	13
18	कोरबा	5	12	11
20	कोरिया	5	7	2
21	महासमंद	3	0	2
22	मुंगली	0	0	7
23	नारायणपुर	5	2	3
24	रायगढ़	4	5	2
25	रायपुर	67	68	103
26	राजनन्दगाँव	2	6	5
27	सरगुजा	14	16	17
28	सुकमा	6	1	2
29	सूरजपुर	10	24	23
30	गौरेला-पेंड्रा-मारवारी	1	1	8
31	खैरागढ़ - छुईखदान-गंदई			6
32	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर			7
33	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी			8
34	सक्ति			11
35	सारंगढ़-बिलाईगढ़			0
	कुल	**297**	**352**	**439**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया।

वर्ष 2020-2022 के दौरान साइबर अपराधों के तहत हिमाचल प्रदेश में जिले-वार दर्ज किए गए मामले

क्र.सं.	जिला	2020	2021	2022
1	बद्दी	9	5	3
2	बिलासपुर	2	1	2
3	चंबा	1	1	1
4	सीआईडी	0	0	0
5	जीआरपी	0	0	0
6	हमीरपुर	3	2	3
7	कांगड़ा	8	5	6
8	किन्नौर	0	0	2
9	कुल्लू	14	18	23
10	लाहौल और स्पीति	0	0	0
11	मंडी	16	7	7
12	शिमला	18	4	17
13	सिरमौर	8	15	1
14	सोलन	6	4	3
15	ऊना	7	4	2
16	साइबर	6	4	7
	कुल	**98**	**70**	**77**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया।